"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई. दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2013-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 52] रायपुर, बुधवार, दिनांक 7 फरवरी 2018 —— माघ 18, शक 1939

परिवहन विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

नया रायपुर, दिनांक 31 जनवरी 2018

अधिसूचना

कमांक एफ 5–12/आठ–परि./2017. —— मोटरयान अधिनियम, 1988 (1988 का सं. 59) की धारा 96 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम, 1994 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 212 की उप–धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार पूर्व में ही प्रकाशित किया जा चुका है, अर्थात् :–

संशोधन

उक्त नियमों में,–

नियम 64 में, उप–नियम (1) में, खण्ड (क) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :–

"(क) क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकार के सचिव को, उनके सम्मुख कॉलम (3) में यथा विनिर्दिष्ट तत्संबंधी क्षेत्रों पर अधिकारिता होगी :–

स.क्र.	अधिकारी	निम्नलिखित जिलों में शामिल क्षेत्र के लिये
(1)	(2)	(3)
(1)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, रायपुर	रायपुर, महासमुंद, धमतरी, गरियाबंद, बलौदाबाजार–भाटापारा
(2)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, जगदलपुर	बस्तर, कांकेर, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, बीजापुर, कोण्डागांव, सुकमा
(3)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बिलासपुर	बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर–चांपा, रायगढ़, मुंगेली
(4)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, अंबिकापुर	सरगुजा, जशपुर नगर, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर
(5)	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, दुर्ग	दुर्ग, राजनांदगांव, कबीरधाम, बालोद, बेमेतरा।"

No. F 5-12/VIII/Trans./2017. — In exercise of the powers conferred by Section 96 of the Motor Vehicles Act, 1988 (No. 59 of 1988), the State Government, hereby, makes the following further amendment in the Chhattisgarh Motor Vehicles Rules, 1994, the same having been previously published as required by sub-section (1) of Section 212 of the said Act, namely :-

AMENDMENT

In the said rules,-

In rule 64, in sub-rule (1), for clause (a), the following shall be substituted, namely :-

"(a) The Secretary to the Regional Transport Authority shall have the jurisdiction on the corresponding areas as specified in column (3) against them :-

S.No.	Officer	For the area consisting district of
(1)	(2)	(3)
(1)	Regional Transport Officer, Raipur	Raipur, Mahasamund, Dhamtari, Gariyaband, Balodabazar-Bhatapara
(2)	Regional Transport Officer, Jagdalpur	Bastar, Kanker, Dantewada, Narayanpur, Bijapur, Kondagaon, Sukma
(3)	Regional Transport Officer, Bilaspur	Bilaspur, Korba, Janjgir-Champa, Raigarh, Mungeli
(4)	Regional Transport Officer, Ambikapur	Surguja, Jashpur Nagar, Korea, Surajpur, Balrampur
(5)	Regional Transport Officer, Durg	Durg, Rajnandgaon, Kabirdham, Balod, Bemetara."

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार धुर्वे, संयुक्त सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित – 2018.